



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला- नरसिंहपुर (म.प्र.)

नरसिंह भवन, नरसिंहपुर 487001, फोन नं.-07792-230900, फैक्स नं.-07792-230915

E-mail:- dmnarsinghpur@nic.in, website:- www.narsinghpur.nic.in

पत्र क्र./6634 /सां.लि./ 2020

नरसिंहपुर दिनांक- 29/06/2020

आदेश

1. म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र./ प्र.स/ स्वास्थ्य/ सत्रह/ मेडि-3/596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुये शहीद भगतसिंह वार्ड गाडरवारा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में COVID-19 संक्रमित पॉजिटिव केस पाये जाने के कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/6277/सा.लि./ 2020 नरसिंहपुर, दिनांक-18-06-2020 द्वारा कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था।
2. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर के पत्र क्रमांक/आईडीएसपी/2020/5026 दिनांक- 27-06-2020 अनुसार शहीद भगतसिंह वार्ड गाडरवारा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। इस कारण कंटेनमेंट एरिया को समाप्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
3. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर के के प्रस्ताव अनुसार शहीद भगतसिंह वार्ड गाडरवारा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के कंटेनमेंट एरिया को समाप्त किया जाता है।
4. उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


(विद प्रकाश)

जिला दण्डाधिकारी
नरसिंहपुर


पृ.क्र./6635 /सां.लि./ 2020,

नरसिंहपुर, दिनांक-29/06/2020

प्रतिलिपि:-

- 1) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 2) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 3) आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
- 4) आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
- 5) पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

- 6) पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7) अपर कलेक्टर नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9) अति.पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11) सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 12) जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास नरसिंहपुर की ओर।
- 13) अनुविभागीय दंडाधिकारी गाडरवारा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 14) अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) गाडरवारा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 15) कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकार सिविल अस्पताल गाडरवारा की ओर सूचनार्थ ।
- 16) तहसीलदार/नायब तहसीलदार गाडरवारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 17) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, गाडरवारा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 18) सर्व सम्बंधित की ओर पालनार्थ।


जिला दण्डाधिकारी
नरसिंहपुर